9

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 109 / 2024 दायर दिनांक–01.07.2024

1. पुष्पा देवी पत्नी तुलसीराम जाति जाट निवासी पूनियां की ढाणी तन सौंथली तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री पंकज कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–30.07.2024

वादीयागण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला की सरहद में भूमि खाता संख्या 526 के अंतर्गत खसरा नम्बर 1887 / 1163 रकबा 0.1100 है0 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीया के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के पति का नाम तुलसीराम के स्थान पर वादीया के पिता का नाम महीपाल दर्ज चला आ रहा है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि में वादिया का नाम पुष्पा देवी पत्नी तुलसीराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से पुष्पा देवी पत्नी तुलसीराम तथा तुलसीराम पुत्र भागूराम के चीफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पुष्पा देवी पुत्री महीपाल के स्थान पर पुष्पा देवी पत्नी तुलसीराम किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला की सरहद में भूमि खाता संख्या 526 के अंतर्गत खसरा नम्बर 1887 / 1163 रकबा 0.1100 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पुष्पा देवी पत्नी तुलसीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव) 30.7.24
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

10

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 109/2024 (पुष्पा देवी बनाम लैण्ड होल्डर आदि)

अंतिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 30.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बुगाला पटवार हल्का बुगाला की सरहद में भूमि खाता संख्या 526 के अंतर्गत खसरा नम्बर 1887/1163 रकबा 0.1100 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पुष्पा देवी पत्नी तुलसीराम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.07.2024 को जारी की गई।

30/7/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00